**21 अप्रैल 2020 को होने वाली पीठासीन अधिकारी के वीडियो कॉन्फ्रेंस के अवसर पर माननीय लोक सभा अध्यक्ष के उपयोग हेतु उद्घाटन भाषण**

**-------**

**21 अप्रैल 2020**

**संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली**

**-------**

माननीय पीठासीन अधिकारीगण, नमस्कार।

आज समस्त विश्व कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है।

केंद्र एवं सभी राज्य सरकारों की सूझ-बूझ, आपसी तालमेल एवं उत्कृष्ट आपदा प्रबंधन के कारण भारत में स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा काफी बेहतर है।

दुनिया के दूसरे देशों का अनुभव हमें बताता है कि यह संक्रमण जब community स्तर पर पहुंचता है, तो वह महामारी का रूप ले लेता है। तब स्थिति बहुत भयावह हो जाती है।

अमेरिका और यूरोप के कई देश, जिनकी आबादी हमसे बहुत कम है एवं वहां सभी प्रकार की उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां के हालात भी देखते-ही-देखते नियंत्रण के बाहर हो गए।

हमारे देश में सही समय पर देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा, विदेशी और देशी फ्लाइट के संचालन पर प्रतिबंध, social distancing के नियमों के व्यापक क्रियान्वयन से ही हम अपनी विशाल जनसंख्या को काफी हद तक संक्रमण से बचाने में सफल रहे हैं।

यह संतोष का विषय है कि सरकारी प्रयासों से स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में हैं तथा सरकार उससे निपटने में पूरी तरह से सक्षम है।

यही नहीं, इस महात्रासदी के समय में भारत संकट में पड़े अन्य देशों की औषधि इत्यादि से यथासंभव सहायता भी कर रहा है, जो अत्यंत गर्व का विषय है और हमारी 'वसुधैव कुटुंबकम' की प्राचीन सोच के सर्वथा अनुकूल है।

आज मेरा आप सबसे संवाद का उद्देश्य यही है कि इस महामारी के प्रसार के बारे में तथा इसके रोकथाम और नियंत्रण के उपायों के बारे में आपसे सार्थक चर्चा एवं विचार विमर्श हो।

साथ-ही-साथ, आपके राज्य में इस सम्बन्ध में क्या पहल किये गए हैं और कौन-कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेज लागू की जा रही हैं; उनके बारे में भी जानना है।

लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार ने 20 अप्रैल 2020 से कृषि संबंधी एवं अन्य चुनिंदा आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी है।

केन्द्र व राज्य सरकारों के कार्यालय भी सीमित उपस्थिति के साथ खोलने का आदेश दिया गया है।

इस स्थिति में हमारा प्रयास होगा कि हम अधिक से अधिक डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ई-फाइलिंग को बढावा दें, विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक बैठकों को संचालित करें जिससे कि 'सोशल डिस्टेंसिंग' के नियमों का अधिक से अधिक पालन हो सके।

विधायी कार्यों एवं समितियों के कार्यों को भी किस प्रकार गति दी जा सकती है, इस बारे में भी हम अपने-अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे।

मैंने लोक सभा की समितियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अपनी बैठकें करने को कहा है। विधान सभाओं में भी यही तरीका अपनाया जा सकता है। नई परिस्थितियों में इंटरनेट और वीडियो कांफ्रेंसिंग का अधिकाधिक उपयोग करते हुए भौतिक और वर्चुअल के सही मिश्रण के साथ ही हमें विधायी कार्यों को निपटाना होगा।

जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व में हमने चार महत्वपूर्ण विषयों पर पीठासीन अधिकारियों की समितियों का गठन किया था। असम विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री हितेंद्र नाथ गोस्वामी जी की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट देहरादून में दे दी थी। इसके तकनीकी पहलुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

दूसरी समिति, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री सी.पी. जोशी जी के नेतृत्व में 'स्वायत्तता' के विषय पर गठित हुई थी। इस समिति का प्रारूप प्रतिवेदन अभी लोक सभा सचिवालय के पास है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

'विधायिकाओं के कार्य-प्रचालन में व्यवधान' के विषय पर उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी के नेतृत्व में गठित समिति की एक बैठक दिल्ली में संसद भवन परिसर में सम्पन्न हुई थी। इसके अलावा, एक अन्य समिति 'संविधान की दसवीं अनुसूची' के विषय पर राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष माननीय श्री सी.पी. जोशी जी की अध्यक्षता में गठित की गई थी।

वर्तमान परिस्थितियों में, इन समितियों के कार्य प्रचालन में निश्चय ही बाधा आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि सभी समितियां अपना कार्य यथासंभव शीघ्रता से पूर्ण करेगी ताकि उनकी अनुशंसाओं और सुझावों का लाभ विधायी निकायों को मिल सके।

हमने इस वर्ष विधायिकाओं द्वारा कुछ आयोजनों के बारे में भी निर्णय लिया था। सीपीए के चार जोन में भी कार्यक्रम होने थे। परंतु, वर्तमान स्थिति को देखते हुए इन पर हम फिर विचार करेंगे।

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का शताब्दी वर्ष, जो कि 14-15 सितंबर 2020 से शुरू होगा, उसके विषय में भी, मुझे लगता है कि थोड़ा स्थिति और साफ होने पर ही निर्णय लेना उचित होगा। अगले सम्मेलन के बारे में भी मेरी यही सोच है।

अंत में, वर्तमान स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जहां कार्यपालिका महामारी से/संक्रमण से निपटने का काम तत्परता से करती रहेगी, वहीं विधायिकायें भी वैश्विक परीक्षा की इस घड़ी में देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभायेंगी ताकि राष्ट्र-निर्माण का कार्य भी निर्बाध चलता रहे।

अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक-एक करके अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त करें।

———